जनसत्ता

चुनावी जुमले

चुनाव के वक्त राजनेता अक्सर बड़े-बड़े मुद्दों को जुमलों में तब्दील कर उनके समाधान के सपने दिखाते रहते हैं। अक्सर ऐसे भी मसलों पर वे बोलना शुरू कर देते हैं, जिनका समाधान संविधान संशोधन के बगैर हो नहीं सकता। इसका नतीजा यह निकलता है कि आम लोगों में उन मसलों को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनती है और वे उसे गलत तरीके से व्याख्यायित करना शुरू कर देते हैं। कश्मीर का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। लंबे समय से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया जा रहा है, जो कि वह है भी, पर उससे जुड़ी धारा तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने को लेकर जिस तरह के भ्रामक बयान दिए जाते रहे हैं, उससे आम लोगों को कश्मीर की वास्तविक समस्या पता ही नहीं चल पाती। धारा तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करना भाजपा की बड़ी चुनावी घोषणाओं में शुमार रहा है। इसी तरह कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि राजनीतिक पार्टियां धारा तीन सौ सत्तर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त न किए जाने की घोषणा करती रही हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर विलय की शर्तों के साथ छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर से भारत का संबंध स्वतः विच्छेद हो जाएगा।

महबूबा ने यह घोषणा भाजपा अध्यक्ष के उस बयान के जवाब में की कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 35 ए को समाप्त कर देगी। इस अनुच्छेद में जुबानी वादा किया गया था कि अगर कश्मीर की कोई लड़की दूसरे प्रांत के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो कश्मीर की अपनी पैतृक संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। इसी तरह अगर दूसरे प्रांत की कोई लड़की कश्मीरी व्यक्ति से विवाह करके वहां रहने लगती है, तो उसका वहां की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह अनुच्छेद दरअसल धारा तीन सौ सत्तर की शर्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यानी अगर 35 ए हटता है, तो धारा तीन सौ सत्तर प्रभावित होगी। इस तरह इसके साथ छेड़छाड़ आसान काम नहीं है। यह बात हर राजनीतिक दल समझता है। धारा तीन सौ सत्तर के साथ छेड़छाड़ का अर्थ है विलय की शर्तों को नजरअंदाज करना। यही वजह है कि पिछले चुनाव में खूब जोर-शोर से इसे हटाने की घोषणा करने के बाद, पांच साल तक प्रचंड बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद, एनडीए सरकार उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई।

ऐसा नहीं कि महबूबा मुफ्ती इस संवैधानिक अड़चन से वाकिफ नहीं हैं। विलय के नियम और शर्तों को बदलना आसान नहीं है। मगर चूंकि महबूबा मुफ्त कश्मीर के एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरी हैं, जो अलगाववाद का गढ़ माना जाता है। कश्मीर के मसले पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर किए बिना वहां के लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने पर्चा दाखिल करने के साथ ही सबसे पहले कश्मीर के विलय संबंधी शर्तों का मुद्दा छेड़ दिया। इस तरह लोगों की भावनाओं को कुरदते रहने से न तो कश्मीर समस्या के हल की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, और न पड़ोसी देश से मिल रही चुनौतियों से पार पाना आसान होगा। कश्मीर मसले का हल चुनावी रैलियों में जुमलेबाजी से नहीं निकल सकता, इसलिए राजनीतिक दलों को ऐसे गंभीर मुद्दों पर आम लोगों को बरगलाने से परहेज करना चाहिए।

बेलगाम अपराधी

उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जिस तरह कायम है, उससे यही सवाल उठता है कि क्या राज्य का प्रशासन पंगु हो गया है या फिर कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर वह बेहद कमजोर साबित हो रहा है! विडंबना है कि आपराधिक वाकयों का दायरा अब किसी सुनसान या अन्य इलाकों तक नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि यह विश्वविद्यालय परिसरों में भी फैल रहा है। मंगलवार को बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमसीए के एक छात्र की जिस तरह हत्या की गई, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का क्या कर्तव्य है और वे उसके प्रति कितने चौकस हैं। गौरतलब है कि बीएचयू परिसर में बिड़ला छात्रावास के चौराहे के पास एक छात्र को मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने गोली मार दी और आराम से चलते बने। इस घटना से गुस्साए विद्यार्थियों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पर सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बीएचयू परिसर में इस कदर बेखौफ होकर अपराधियों को गोलीबारी करने की हिम्मत कहां से मिली।

दरअसल, पिछले कुछ समय से राज्य में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और उनमें कानूनी कार्रवाई करने को लेकर सरकार और प्रशासन का जो ढीला-ढाला रुख रहा है, उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। यही वजह है कि आज विश्वविद्यालय परिसरों में भी सरेआम हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि यह कोई अकेली घटना नहीं है, जिससे राज्य के प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं की बाढ़-सी आ गई है। क्या यही वजह नहीं है कि लोगों ने अब राज्य सरकार की क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को एक महिला पुलिसकर्मी पर कुछ युवकों ने तेजाब से हमला कर दिया। सवाल है कि आखिर वे कौन-सी स्थितियां हैं, जिनके चलते राज्य में आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है।

कहने को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह जताने में कोई कमी नहीं की है कि समूचे राज्य में अपराध के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है और बड़ी तादाद में आपराधिक तत्त्वों पर शिकंजा कसा गया है। खासतौर पर राज्य सरकार पिछले कुछ समय के दौरान मुठभेड़ में मार गिराए अपराधियों का हवाला देकर यह दर्शाती रही है कि वह इस मसले पर काफी सख्त है। मगर जहां मुठभेड़ में मारे गए लोगों के मामले में राज्य सरकार के रुख पर तीखे सवाल उभरे हैं, वहीं उनका असर भी बाकी आपराधिक घटनाओं पर शायद ही देखने में आ रहा है। जघन्य आपराधिक वारदात का सिलसिला आज भी राज्य में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर मौजूद व्यापक लापरवाही का ही सबूत है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कठघरे में खड़ी है और उससे पूछा जा रहा है कि सत्ता में आने से पहले उसने इस मसले पर जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ। गौरतलब है कि राज्य में पिछली सरकार के कामकाज और सबसे ज्यादा कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा कर ही भाजपा ने राज्य की जनता का समर्थन हासिल किया था। आज महज कुछ सालों के भीतर हालत यह हो चुकी है कि अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच चुके राज्यों में से एक माना जाने लगा है।

कल्पमेधा

मनुष्य जब पशु जैसा आचरण करता है उसी समय वह पशुओं से भी नीचे गिर जाता है।
-रवींद्रनाथ ठाकुर

धरती बचाने की चुनौती

अरविंद कुमार सिंह

पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने और कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट के जंगलों के विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण की जरूरत है। जंगल और वृक्षों का दायरा बढ़ाना होगा। पेड़ और हरियाली ही धरती पर जीवन के मूलाधार हैं। वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती पर प्राणवायु ऑक्सीजन से लेकर जरूरी भोजन इसी से मिलता है।

बढ़ते प्रदूषण को लेकर बढ़ रही वैश्विक चिंता के बीच यह खुलासा और भी परेशान करने वाला है कि इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में और तेजी आ सकती है। ब्रिटेन में मौसम विभाग के कार्यालय और एक्जेटर विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि हवाई स्थित मोनालोआ वेधशाला में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता में 1958 से अब तक तीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों, वनों की कटाई और सीमेंट उत्पादन है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस साल कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर 2019 अब तक का सबसे गर्म साल रहेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में धरती का तापमान 1880 के बाद से अब तक का चौथा सबसे गर्म तापमान रहा। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज के मुताबिक 2018 में वैश्विक तापमान 1951 से 1980 के औसत तापमान से 0.83 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस स्थिति के लिए काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही जिम्मेदार है।

अब तक वायुमंडल में छत्तीस लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो चुकी है और चौबीस लाख टन ऑक्सीजन समाप्त हो चुकी है। अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक पृथ्वी का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों की मानें तो बढ़ते तापमान के लिए मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है और इससे निपटने की त्वरित कोशिश नहीं हुई तो आने वाली सदियों में धरती खौलते कुंड में बदलने लगेगी। औसत वैश्विक तापमान पिछले सवा सौ सालों में अपने उच्चतम स्तर पर है। औद्योगीकरण की शुरुआत से लेकर अब तक तापमान में 1.25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक आधी सदी से हर दशक में तापमान में 0.18 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो रहा है। इक्कीसवीं सदी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में 1.1 से 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की आशंका है।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वायु में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात पर एक शोध में पाया है कि बढ़ते तापमान के कारण वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम हो रही है। पिछले आठ सालों में इसमें काफी गिरावट आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है उस पर काबू नहीं पाया गया तो अगली सदी में तापमान साठ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर पृथ्वी के तापमान में मात्र 3.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होती है तो आर्कटिक के साथ-साथ अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे। देखा भी जा रहा है कि बढ़ते तापमान के कारण उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की बर्फ चिंताजनक रुप से पिघल रही है। अगर बर्फ का पिघलना थमा नहीं तो आने वाले वर्षों में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, पेरिस और लंदन, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पणजी, विशाखापत्तनम, कोचीन और त्रिवेंद्रम जैसे दुनिया के कई तटीय शहर समुद्र में समाने लगेंगे। साल 2007 की इंटर-गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते तापमान के कारण दुनिया भर के करीब तीस पर्वतीय ग्लेशियरों की मोटाई अब आधे मीटर से कम रह गई है। हिमालय क्षेत्र में पिछले पांच दशकों में माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर दो से पांच किलोमीटर सिकुड़ गए हैं। छिहत्तर फीसद ग्लेशियर चिंताजनक गति से सिकुड़ रहे हैं। कश्मीर और नेपाल के बीच गंगोत्री ग्लेशियर भी तेजी से सिकुड़ रहा है। अनुमानित भूमंडलीय ताप से जीवों का भौगोलिक वितरण भी प्रभावित हो सकता है। कई प्रजातियां धीरे-धीरे ध्रुवीय दिशा या उच्च पर्वतों की ओर विस्थापित हो जाएंगी। पृथ्वी पर करीब बारह करोड़ वर्षों तक राज करने वाले डायनासोर के समाप्त होने का कारण भूमंडलीय ताप ही था।

पर्यावरणविदों की मानें तो बढ़ते तापमान के लिए मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का दहन बड़े कारण हैं। तापमान में कमी तभी आएगी जब वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो 2000 से 2010 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की दर तीन फीसद सालाना रही, जबकि भारत के कार्बन उत्सर्जन में यह वृद्धि पांच फीसद रही। यानी 2014 की तुलना में 2015 में भारत ने पांच फीसद से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित किया। कार्बन उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक कोयला जिम्मेदार है। हालांकि अमेरिका और चीन ने कोयले पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। इसके स्थान पर तेल और गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी कोयले पर निर्भर है। अच्छी बात यह है कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को अंगीकार करने के बाद क्योटो प्रोटोकाल के दूसरे लक्ष्य को अंगीकार करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत देशों को 1990 की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अठारह फीसद तक घटाना होगा। भारत के इस कदम से अन्य देश भी आगे आएंगे। उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 11 दिसंबर, 1997 को जापान के क्योटो शहर में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक सौ बानवे देशों के बीच यह संधि हुई। 16 फरवरी, 2005 को यह प्रभावी हुई। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को लक्ष्य पूरा करने के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध कराना भी इसका हिस्सा है। संधि का पहला लक्ष्य 2008-12 के लिए तय हुआ था। इसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले बावन देशों ने चार ग्रीन हाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड) का उत्सर्जन 1990 की तुलना में पांच फीसद तक घटाने का लक्ष्य रखा था। अन्य देशों ने भी इसके लिए अपने-अपने लक्ष्य रखे थे। पेरिस जलवायु समझौते पर भी भारत ने दुनिया को राह दिखाई है। सन 2020 से कार्बन उत्सर्जन को घटाने संबंधित प्रयास शुरू करने के लिए दिसंबर, 2015 को यह संधि हुई थी। इस पर एक सौ बानवे देशों ने हस्ताक्षर किए और अब तक भारत सहित एक सौ छब्बीस देश इसे अंगीकार कर चुके हैं।

पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने और कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट के जंगलों का विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण की जरूरत है। जंगल और वृक्षों का दायरा बढ़ाना होगा। पेड़ और हरियाली ही धरती पर जीवन के मूलाधार हैं। वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती पर प्राणवायु ऑक्सीजन से लेकर जरूरी भोजन इसी से मिलता है। वृक्षों और जंगलों का विस्तार होने से धरती के तापमान में कमी आएगी। लेकिन विडंबना है कि वृक्षों और जंगलों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स एसेसमेंट (जीएफआरए) रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से 2015 के बीच कुल वन क्षेत्र तीन फीसद घटा है और यह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के आकार के बराबर है। प्राकृतिक वन क्षेत्र में कुल वैश्विक क्षेत्र की दोगुनी अर्थात छह फीसद की कमी आई है। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों की स्थिति और भी दयनीय है। यहां सबसे अधिक दस फीसद की दर से वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। वनों के विनाश से वातावरण जहरीला हुआ है और प्रतिवर्ष दो अरब टन अतिरिक्त कार्बन-डाइऑक्साइड वायुमंडल में घुल-मिल रहा है। इससे जीवन का सुरक्षा कवच मानी जाने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। बेहतर होगा कि वैश्विक समुदाय बढ़ते तापमान से निपटने के लिए कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन पर नियंत्रण का कोई ठोस प्रभावी उपाय खोजे।

परिधि में स्त्री

राजकुमारी

दुनिया मेरे आगे

यों तो समूची दुनिया में अलग-अलग शक्ल में स्थिति बहुत अलग नहीं है, लेकिन खासतौर पर भारत की महिलाएं एक तरह से मूक नेत्री रही हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था और मानसिकता ने जो संस्कारों की घुट्टी पिला कर उन्हें पोषित किया, उसी में रच-बस कर उसी तरह जीना। जीवन भर रसोईघर में खुद को झोंकने की, अपनी शरीरिक मेहनत और झुलसने-जलने की, बर्तनों के साथ अंगुलियों के घिस जाने के बावजूद उफ्फ तक नहीं निकलने को लेकर अभ्यस्त और सहज हो जाने के बावजूद दुत्कार खाकर जीतीं निराश आंखों वाली औरतें। माहवारी से जुड़े महावृत्तांतों ने स्त्रियों को अछूत और उसके बनाए निवालों को विष-स्वरूप प्रस्तुति दी। उसकी दारुण अनकही कथाएं, जिसे वह अपना कहती रही, वह भी भाई, पति, बेटे के हिस्से की रहीं। कहीं न कहीं वह खुद जननी के रूप में पारंपरिक ढांचे में ढाल देने को प्रयासरत रही। कोल्हू के बैल-सी जुटी रहते हुए चाहे बदन टूट कर खंडित अवस्था में हो, सभी की तरह अगर उसे भी शरीर के दर्द के दौरान आराम का खयाल आए तब भी उसे काम में जुटे रहना है। इस स्थिति में भी पति अगर अरमानों की सेज सजा बैठे तो प्रसन्न होने की नाटकीयता का निर्वाह। उसकी तुनकमिजाजी तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाती।

तमाम अंदरूनी चीखों को दबा कर, दोहरी जिंदगी की कसौटियों पर खरा उतरने की जिद लिए कूद पड़ती हैं घर, कार्यालय के मैदाने-जंग में अपनी जीत का परचम लहराने। वहां वह हृदय चीरने वाली दृष्टियों का वार झेल कर, खुंदक खाकर, जुबान रूपी घोड़े की लगाम छोड़ शब्दों के चाबुक चला कर ही अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाती है। समाज की नजर में सुंदर मानी जाने वाली स्त्रियां अगर सुंदरता को संरक्षित करने के उद्देश्य से कुछ सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग में ला कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करने की कोशिश करती है तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आलम यह कि पुरुषों के बीच आकर्षण का केंद्र बनने की चाह खुद सुंदर नहीं लगने वाले और भ्रमित स्त्री-पुरुषों को कुढ़ने पर मजबूर करती है।

ऐसे में एक ही बात अमल के लायक लगती है कि दुनिया कुछ कहे, उसकी फिक्र नहीं की जाए। अपने जीवन और अपनी अस्मिता के लिए जो जरूरी लगे, वह किया जाए। मगर आमतौर पर अपने व्यक्तित्व में अतिमानवीय सुंदरता को हासिल करने के रोजमर्रा के संघर्षों को स्त्री नहीं छोड़ती है और सांसों की दुर्गंध से लेकर पुरुष दंभ से भरे बदसलूकी वाले पुरुष को भी वह सामाजिक बंधन के चलते झेलती जाती है और ऐसे में वह निरीह, विवश और मूक प्राणी बनी रहती है। स्त्री सौंदर्यबोध की सामान्य परिधि यहीं तक सीमित कर दी गई। इस तरह की मोहिनी रूप वाली स्त्रियां पुरुषों के बीच बाकी महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा चर्चा के लिए स्थान पातीं हैं।

लेकिन आधुनिक स्त्री हर क्षेत्र में अपनी पहले की छवि के मुताबिक रूढ़ रही आदतन त्याग और अपनी अभिव्यक्ति के भूलभुलैया वाले भाव को किनारे कर असंतोष, पीड़ा और निराशाजनक माहौल से धीरे-धीरे मुक्ति द्वार की चौखटें लांघ रही हैं। यह सब शिक्षित होने पर संभव हो पाया। हालांकि यह उनके जीवन का मर्म है, लेकिन पितृसत्तात्मक कठोर मानसिकता से भरी हुई स्त्रियां और पुरुष इसे 'बदजुबानी' या 'कैंची-सी जुबान' के उपमान भी देते हैं। लेकिन सच कहें तो यह स्त्री का चरम विद्रोह है। ये संगठित मुक्तिवाहिनी स्त्रियां आज भी अल्पसंख्यक समूह ही हैं और वे भी लैंगिक भेदभाव, रूढ़ियों, असमानताओं, अन्यायपूर्ण व्यवहारों से आज तक पार नहीं पा सकी हैं। स्त्री आज भी अधिकारों से वंचित वर्गों की श्रेणी में ही है। मुश्किल यह है कि इस वंचना को महसूस करने के बजाय उसे पारंपरिक रूप से कायम सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था के मानसिक बंधनों में ही सब कुछ सहज लगता रहता है।

ऐसा लगता है कि औरतों की खासियत ही उनके शोषण का कारण बन जाती है। सभी से उदारतापूर्वक व्यवहार, कोमल, माधुर्य से भरी वाणी उसी के खिलाफ चली जाती है। स्वतः स्फूर्त संबंधों की आंच से गला कर स्त्री को सभी संबंधी अपने आप परंपरागत रूप से स्वीकृत सांचे में ढाल कर मन मुताबिक कार्य कराते हैं। लेकिन उसके अंतर्मन की थाह पाने का कोई प्रयास नहीं करता। अब जरूरत इस बात की है कि स्त्री अपराधबोध, कुंठा, निर्णयों में अपने लीचीलेपन को छोड़ कर अपने वर्चस्व को स्थापित करे। उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि अभिव्यक्ति के लिए लब खोलने, शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने, अधिकारों को हासिल करने तक की सशक्त आवाज में मांग उठाई जाए। उसके बाद ही शायद घरेलू हिंसा, सामाजिक, लैंगिक शोषण और बलात्कार से कुकृत्यों पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। बहरहाल, स्त्री विमर्श हमें आज एक नहीं समाप्त होने वाला विषय लगता है। इसके बावजूद सच यह है कि बौद्धिकता और दृढ़ता ही स्त्री को प्रताड़ना और लांछन से बचा कर एक स्वच्छंद गिलहरी की तरह मनमौजीपन से भरपूर बना सकती है।

हवाई वायदे

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वायदा किया है कि केंद्र सरकार में 22 लाख नौकरियां मार्च 2020 तक दी जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि यदि मार्च तक ऐसा न हो सका तो मुझे पकड़ लें! चुनाव जीतने के लिए अधीर हुई कांग्रेस इस समय इस मानसिकता में है कि कोई भी वायदा आप उससे करा सकते हैं। जरा विचार कीजिए कि केंद्र सरकार में कर्मचारियों की कुल संख्या 15 लाख के आसपास है, तब उसमें 22 लाख नौकरियां कहां से आ जाएंगी? चालीस-पचास हजार से अधिक नौकरियां वहां प्रतिवर्ष निकलने की संभावना नहीं हो सकती। फिर यह कई गुना अधिक नौकरियां देने का प्रलोभन क्यों?

इससे पहले जो कृषि ऋण माफी की घोषणा कांग्रेस ने की थी, वह भी एक समयबद्ध वायदा था। क्या हुआ उसका? अकेले मध्यप्रदेश में 48,000 करोड़ के फसली कर्ज माफ होने थे और यह काम दस दिन में हो जाना था। अब 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं लेकिन महज चार हजार करोड़ के कर्ज माफ हुए हैं। बैंक किसानों की देनदारियां निकालने और वसूल करने में लगे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब कहां से और कैसे पकड़ें राहुल गांधी को? मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अभी और नमक छिड़का है किसानों के जख्मों पर। जिनके कर्ज माफ नहीं हुए, उनके पास चिट्ठी भेजी है कि आदर्श आचार संहिता के चलते अब उनका नंबर चुनाव के बाद ही आएगा। एक और झूठ! आचार संहिता पहले से चलती आ रही योजना को कहीं नहीं रोकती। कर्नाटक, छत्तीससगढ़ और राजस्थान के किसान भी राहुल गांधी के झूठे वायदे के शिकार हैं।

हर साल गरीबों को 72,000 रुपये देने का वायदा एक और उदाहरण है जिसके बाबत राहुल अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि वर्तमान में जो 1,06,000 रुपए प्रतिवर्ष की सब्सिडी गरीब परिवारों को दी जा रही है, वह बंद तो नहीं कर दी जाएगी? अगर यह बंद नहीं होगी तो कहां से लाएंगे इतना पैसा? क्या नए टैक्स लगाकर?

● *आस्था गर्ग, बागपत रोड, मेरठ*

चुनाव के चरण

सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव के लिए रिकॉर्ड 92 करोड़ से अधिक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारतीय इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा व लंबे समय तक चलने वाला आम चुनाव साबित होने जा रहा है। जाहिर है, अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता होंगे तो इसे समुचित व व्यवस्थित प्रकार से संचालित करने के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और समय भी अधिक ही लगेगा। इसीलिए इसे अनेक चरणों में इसे कराना आवश्यक हो जाता है। इस लंबी चुनाव प्रक्रिया से आमजन को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। देश या प्रदेश में सभी नए विकास कार्य और योजनाएं लगभग तीन माह के लिए लंबित हो जाते हैं। अनेक सरकारी कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण विभिन्न विभागों में जनसंपर्क कार्यों पर भी असर पड़ना लाजिमी है। लेकिन इस सबके बावजूद सुरक्षित व साफ-सुथरे चुनाव करना भी तो प्राथमिकता में आता है।

याद कीजिए, दो दशक या इससे पहले जब एक ही चरण में मतदान होता था तब मत पेटियां लूटने या बूथ पर कब्जे की कितनी घटनाएं होती थीं! अनेक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को दहशत के बूते इकतरफा मतदान करने के लिए बाध्य किया जाता था। विभिन्न समुदायों, गुटों और दलों के समर्थकों के बीच हिंसा-प्रतिहिंसा का तांडव आम था। मतदाताओं को शराब, उपहार या रुपयों का प्रलोभन देकर अपने हक में वोट डालने के लिए बाध्य किया जाता था। अनेक चरणों में चुनाव कराने का सबसे बड़ा लाभ उन संवेदनशील प्रदेशों और इलाकों को हुआ है जहां लोगों के मन में मतदान करने की हिम्मत तक नहीं होती थी और वे मतदान केंद्रों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। विभिन्न चरणों में मतदान करने से अवश्य ही चुनाव प्रकिया लंबी हुई है, लेकिन यह आज की परम आवश्यकता है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक राष्ट्र के हित में भी है।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

बेवजह संदेह

हैरत नहीं कि कुछ दिन बाद राजनीतिक दल मांग करने लगें कि शत प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। कुछ दल ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से मतदान की मांग कर रहे हैं। यह कुछ वैसी ही बेतुकी मांग है जैसे कोई ट्रेन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बैलगाड़ी से यात्रा को बेहतर बताए! पचास प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने की मांग इसलिए अनावश्यक है कि निर्वाचन आयोग करीब-करीब हर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ की मतदान पर्चियों का मिलान करता है। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आखिर जब इस व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं मिली, तब फिर पचास प्रतिशत मतदान पर्चियों के मिलान की मांग का क्या मतलब है?

● *हेमंत कुमार, ग्राम/पोस्ट-गोराडीह, भागलपुर*

ऐसे प्रतिनिधि

हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए जो कर्मठ, ईमानदार हों और अपने वादों को निभाएं। वे धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विग्रह पैदा न करें, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निष्पृहता, निष्पक्षता और ईमानदारी से करें। हमें ऐसे लोगों को सांसद और विधायक नहीं बनाना है जो क्षेत्र की किसी समस्या का निराकरण न करके केवल टालने वाली नीति और केवल बातों के भ्रमजाल में फंसाने का कृत्य करते रहें। हमें वैसे लोगों का चुनाव भी नहीं करना चाहिए जो केवल चुनाव से पूर्व 'विनम्रता की प्रतिमूर्ति' बने दिखाई दें मगर चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में दिखाई ही न दें, लोगों और वहां की समस्याओं से नाता ही तोड़ लें। दूसरे शब्दों में, वे एक अति दुर्लभ और अति विशिष्ट वीवीआईपी बन जाएं।

लोकतंत्र में सही और ईमानदार जनप्रतिनिधि का चुनाव करना ही इसकी सार्थकता है। लेकिन आज लोकतंत्र में अपराधियों, दागियों, माफियाओं, नाकारा और अकर्मण्यों, निठल्लों, केवल कागजी शेरों, झूठे वादे करने वालों का वर्चस्व हो गया है। इस खर्चीली चुनाव व्यवस्था में ईमानदार, शिक्षित, सच्चरित्र और कर्मठ मगर साधारण आर्थिक हैसियत का व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता! लिहाजा, हम अपने क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में जो सबसे ईमानदार, कर्मठ और अपने वादों का पक्का हो उसे बगैर किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व जातीय वैमनष्य और भेदभाव के चुनें ताकि वह क्षेत्र की समस्याओं का संजीदगी, ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से समाधान करे। लोकतंत्र की सार्थकता इसी में है कि हर दृष्टिकोण से योग्यतम जनप्रतिनिधियों का बगैर किसी संकीर्णता के चुनाव हो।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com